1

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश/समयबद्ध
संख्या–564डब्लू/9–7–15–197(रिट)/15

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ– दिनांक 13 अगस्त, 2015

विषय: जनहित याचिका संख्या–42463/2015, कुमारी जोया जुनैद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.07.15 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अगवत कराना है कि "The Uttar Pradesh Parks, Playgrounds and Open Spaces (Preservation and Regulation) Act, 1975" की धारा–3, 4, 5, 6 एवं 7 मे किये गये प्राविधानो के अनुसार प्रदेश के नागर निकायों मे स्थित पार्को, खेल के मैदानों एवं खुली जगहों की सूची तैयार किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे योजित उक्त जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.15 को निम्नवत आदेश पारित किये गये है:–

"..........The Principal Secretary (Urban Development) shall take stock of the situation immediately and shall issue directions to all the local bodies to forthwith commence the work of preparing a list of parks, playground and open spaces as required by section 3 of the Act read with rules 4 and 5. All the local bodies in the state shall strictly comply with the directions furnished by the Principal Secretary (Urban Development) who shall monitor compliance.

We expect that the entire process shal be completed within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order.

On or before the next date of listing, the Principal Secretary (Urban Development) shall file an affidavit on compliance.

List on 5 October, 2015 as fresh."

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 31.07.15 के अनुपालन मे प्रदेश के समस्त नागर निकायों से उक्त सूचना एकत्रित कर, समेकित सूचना शासन को 10 दिन के अन्दर अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा समेकित सूचना के आधार

पर मा0 उच्च न्यायालय मे सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की ओर से योजित किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र का आलेख्य तैयार कराकर भी शासन को 20 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में अपने नागर निकाय से सम्बन्धित सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय को एक सप्ताह में अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद (द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी), उ0प्र0।
3. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।